फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय

बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/7/25	पत्रावली प्रत्याहूत। वकील [illegible] मुख। अधिवक्ता [illegible] 22/5/25 के द्वारा वकील प्रार्थी की अप्रार्थी संख्या 1,8 की तलबी रद्द किए जाने से वापसी जारी थी। परन्तु लगभग 02 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1,8 के स्थान के लिए रजि० 2 दिसम्बर सम्मन तलबी हेतु पेश नहीं की गयी। बावजूद इसके वकील प्रार्थी रजि० तलबी हेतु डाक खर्चा देने से विफल रहा है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 09 नियम 02 CPC के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर किए जाने हेतु मुनासिब हुक्म चाहिए। निर्णय आज दिनांक 23/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम